UPMO010020192026

न्यायालय **अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मुरादाबाद**

पीठासीन अधिकारी**-** (अंजना)**, (**उ०प्र० न्यायिक सेवा **) - UP06138**

तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या**-639/2026**

सत्र परीक्षण सं0–137 / 2026
मु0अ0सं0 578 / 2008
धारा 398,401,307 भा0दं0सं0।
थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद।

1 आवेदक / अभियुक्त परवेन्दर उर्फ गुड्डू, जो सत्र परीक्षण सं0 137 / 2026, मुकदमा अपराध संख्या 578 / 2008 थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद अंतर्गत धारा 398,401,307 भा0दं0सं0 के संबंध में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक / अभियुक्त इस मामले में पूर्व में जमानत पर था। आवेदक / अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के कथनानुसार आवेदक / अभियुक्त की जमानत का अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा उसका द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र नॉट प्रेस करने के कारण निरस्त किया जा चुका है।

2 आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि आवेदक / अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था, उसके वारण्ट जारी हो गये हैं। उक्त वाद में आवेदक / अभियुक्त जब जेल से निकला तब उसके अधिवक्ता ने बताया कि सम्मन जायेंगे, तब तारीख पर आना है। आवेदक / अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। आवेदक / अभियुक्त की जमानत का अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। वह दिनांक 23.12.2025 को स्वयं जिला कारागार से तलब हुआ है। उसका द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र नॉट प्रेस करने के कारण निरस्त हो चुका है। तद्नुसार उसे जमानत पर रिहा किये जाने की मांग की गयी है।

3 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

Digitally signed by ANJANA
Date: 2024.03.09 19:12:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ने जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध किया।

4 उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना व संबंधित प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

5 पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण में पूर्व में माननीय सत्र न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र सं0 4318/2008 में पारित आदेश दि0 17.10.2008 से जमानत पर था। आवेदक/अभियुक्त के कथनानुसार समन न मिलने के कारण वह उपस्थित नहीं आ सका तथा उसके विरूद्ध वारण्ट जारी हो गये थे तथा प्रस्तुत वाद में दिनांक 23.12.2025 से वह कारागार में निरूद्ध है। चूंकि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था, ऐसी परिस्थितियों में अन्यथा गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त परवेन्दर उर्फ गुड्डू का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि का एक जमानती, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर, निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएः–

1. आवेदक/अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2 आवेदक/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और

3 आवेदक/अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

दिनांक– 09–03–2026

(अंजना)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6138)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 01,
मुरादाबाद।